अध्याय - 6

यौन शोषण

एक दिन एक समाचार-पत्र में **"एक 10 वर्ष की लड़की, दिल्ली में एक कोठे से पुलिस द्वारा रेड करने पर मिली"** शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इसे पूरा पढ़ने पर मीरा दीदी बहुत चिंतित थी क्योंकि अब यह काफी आम हो गया है कि गांव से छोटी युवतियों को लालच देकर शहर में लाया जाता है और फिर उन्हें वेश्याओं तथा दलालों को बेच दिया जाता है एवं उन्हें देह व्यापार करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस पर चिंतित होने के कारण मीरा दीदी ने गांवों में दौरा करने और इस मुंददे पर महिलाओं को सचेत करने का निर्णय लिया। कई कल्याणं संगठन भी उनके इस प्रयास में शामिल हो गए थे। उन्होंने सूदूर गांवों तक का दौरा किया और महिला तथा गांवों की जनता को समझाया।

एक गांव में जब पंचायत हो रही थी तो सभी ग्रामवासी उपस्थित थे। मीरा दीदी ने उन्हें समझाया कि ऐसे लोगों के शिकार न हों जो महिलाओं तथा युवतियों को शहरों में एक बेहतर भविष्य का वादा करते हैं क्योंकि यह अवैध मानव व्यापार अथवा जबरदस्ती देह व्यापार के विनाशकारी परिणामों में परिणत हो सकता है।

अवैध मानव व्यापार के संबंध में जानने योग्य बातें -

- महिलाओं तथा बच्चों के अवैध मानव व्यापार में जबरदस्ती देह व्यापार शामिल है।
- लाभ हेतु भर्ती करने वाले अथवा अवैध मानव व्यापार करने वाले महिलाओं तथा बालिकाओं को यौन अथवा आर्थिक रूप से दमनकारी और शोषणकारी स्थितियों तथा साथ ही अन्य अवैध क्रियाकलापों में भेजने के लिए बाध्य करते हैं।
- **महिलाएं तथा बालिकाएं विशेष रूप से संवेदनशील हैं।**

❖ **अवैध मानव व्यापारियों/एजेंटों के कार्य करने का तरीका निम्नलिखित है-**

- रोजगार अथवा विवाह के वायदे आम तकनीक हैं जिनसे भर्ती करने वाले अपने शिकार को घर छोड़ने के लिए लुभाते हैं ।
- अपहरण करना ।
- **गांव की लड़कियों तथा उनके परिवारों को अक्सर एजेंटों/दलालों द्वारा धोखा दिया जाता है जो उन्हें विवाह तथा आधुनिक शहरी जीवन की सारी सुख-सुविधाओं को लालच देते हैं । वे एक स्थानीय समारोह करके गांव से चले जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते । ऐसी लड़कियां अन्ततः वेश्यालयों में पहुंच जाती हैं ।**
- कभी-कभी वे लड़कियों से शहर में रोजगार दिलाने का भी वायदा करते हैं ।
- एक अन्य तरीका किसी दूर के सम्बन्धी अथवा मित्रों के माध्यम से होता है जो किसी अन्य गांव में किसी संबंधी अथवा मित्र के साथ विवाह करवाने का बहाना करते हैं जबकि लड़की को अगवा करके उसे किसी वेश्यालय में भेज देते हैं ।

प्रभाव

➢ शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य समस्याएं ।

➢ इन समस्याओं में जन्म नियंत्रण , लगातार बलात्कार, शारीरिक दुर्व्यवहार और अन्य स्वास्थ्य मुददे शामिल हैं ।

➢ जबरदस्ती वेश्यावृत्ति में लाई गई महिलाओं को एचआईवी/एडस सहित यौनजनित संक्रमण का जोखिम होता है ।

कुछ महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान

➢ "वेश्यावृत्ति" का अर्थ है पैसे कमाने के लिये व्यक्तियों का यौन शोषण अथवा उनके साथ दुव्यर्वहार ।

- कोई भी व्यक्ति जो किसी महिला अथवा लड़की से वेश्यावृत्ति करवाता है अथवा किसी महिला या लड़की को वेश्यावृत्ति करने के लिए प्रेरित करता है, वह एक अपराधी है।
- किसी ऐसे परिसर में जहाँ वेश्यावृत्ति की जाती हो वहाँ किसी महिला अथवा लड़की को रखना कानूनन दण्डनीय है ।
- कोई भी व्यक्ति जो किसी वेश्यालय की व्यवस्था करता है अथवा उसकी व्यवस्था करने में सहायता करता है, वह अपराधी है ।
- 18 वर्ष की आयु से अधिक का कोई भी व्यक्ति जो पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से किसी महिला अथवा लड़की की वेश्यावृत्ति से प्राप्त होने वाली आय पर अपनी आजीविका चलाता है, वह कानूनन दण्ड का भागीदार है ।

गौरव जैन बनाम भारत संघ तथा अन्य 1988 की रिट याचिका संख्या (सी)824 के साथ 1990 की रिट याचिका (अपराधिक) संख्या 745-754/54 में उच्चतम न्यायालय ने पाया था कि "देह व्यापार में लिप्त पाई जाने वाली महिला को हमारे समाज में अपराधी के बजाए प्रतिकूल सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के शिकार के रूप में देखा जाना चाहिए । देह का वाणिज्यिक उपयोग एक अपराध माना जा सकता है परन्तु प्रथा अभिमुख वेश्यावृत्ति और लिंग अभिमुख वेश्यावृत्ति में फंसे हुए लोगों को पीड़ित के रूप में देखा जाना चाहिए । विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के क्षेत्रों में क्रमशः देवदासी, जोगिन तथा वेंकटासिन के व्यवहार में प्रथा के रूप में महिलाओं की वेश्यावृत्ति निन्दनीय है । यह मानव की गरिमा तथा आत्मसम्मान का अपमान है परन्तु प्रचलित मान्यताओं को पूरा करने के चक्र में महिलाएं इस महिमा मंडित आत्मबलिदान में फंस जाती हैं और जो मंदिरों तथा धर्मार्थ संस्थानाओं आदि में वेश्यावृत्ति सेवा में परिणत होता है। यह मानवता के प्रति एक अपराध है, मानवाधिकार का उल्लंघन है और संविधान तथा मानवाधिकार अधिनियम के विपरीत है। इस व्यवहार को करने वाले रूढ़िवादी तथा संवैधानिक अपराधी हैं। तर्कहीन प्रथाओं की कोई कानूनी स्वीकृति नहीं होती है।